न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:– अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0नं0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
08 / 2018	26.04.2018	02.09.2024

1. शकिला बानो पुत्री मोहम्मद इशहाक पत्नी इशहाक जाति मुसलमान निवासी सूरवाल
2. जहीरन बानो पुत्री मोहम्मद इशहाक पत्नी वाजिद अली जाति मुसलमान निवासी सूरवाल हाल इन्दौर

अपीलांट

बनाम

1. मोहम्मद इलियास पुत्र मोहम्मद इशहाक
2. मोहम्मद जफर पुत्र मोहम्मद इशहाक
3. आबिद अली पुत्र मोहम्मद इशहाक
4. शकीला पत्नी मन्जुर पुत्र मोहम्मद इशहाक जाति मुसलमान निवासी सूरवाल हाल इन्दौर
5. इमरान पुत्र मन्जुर
6. बशीम पुत्र मन्जुर
7. मेहरूनिशा पुत्री मन्जुर
8. रूखसार पुत्री मन्जुर जातियान मुसलमान निवासीयान सूरवाल हाल हम्मीर नगर खेरदा प्लाट नम्बर 354
9. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर
10. सरपंच ग्राम पंचायत सूरवाल

रेस्पोडेन्टान

अपील बिनाराजी तजबीब नामांन्तकरण संख्या 18 दिनांक 08.12.1997 संरपच ग्राम पंचायत सूरवाल

1. अपीलांट की और से :– श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल एड0
2. रेस्पोडेन्टान संख्या और से एक पक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय –:

अपीलांटस ने एक अपील प्रार्थना पत्र जरिये वकील पेश कर निवेदन किया है कि आदेश नामान्तकरण खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से लायके मन्सूख है। इशहाक अहमद पुत्र भोलावक्स के निम्नलिखित वारिसान है जो कि उसके तर्के पर बहैसियत वारिसान काबिज है।

Signature Not Verifie
Digitally signed by Damod
Date: 2025.09.10 13:57:3
Reason: SelfAttested

इशहाक अहमद

↓

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
मो0 इलिया	मो0 जफर	मन्जूर अली (फौत)	आबिद अली	शकीला (पुत्री)	जहीरन (पुत्री)	शरीफ बैवा (फौत)	शबीला (बैवा)	बसीम	इमरान	मेहरूनिशा	सार

अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व इशाक अहमद के समस्त वारिसान को नोटिस दिये बिना समस्त वारिसान की जानकारी किये बिना जो नामान्तकरण तस्दीक किया है वह नेचुरल जस्टीस के विपरित होने के कारण काबिले खारिज है। इशहाक अहमद की फोती के समय इशहाक अहमद के मद नम्बर 02 के वर्णित 7 वारिसान में 4 पुत्र 2 पुत्रिया व पत्नी मौजूद थी जो

इशहाक अहमद के तर्क पर बहैसियत मासिक काबिज थे, इन्ही के नाम नामान्तकरण खोलना चाहिऐ था। अधिनस्थ न्यायालय ने वारिसान की वास्तविकता की जॉच किये बिना आदेश नामान्करण जारी किया है। वह खिलाफ कानून होने के कारण काबिले मन्सूख है। प्रार्थी शकीला अपने पिता से प्राप्त 1/6 हिस्से की भूमि पर लोने लेने हेतु जमाबंदी लेने पटवारी के पास दिनांक 08.04.2018 को गयी तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम इशहाक अहमद की कोई जमीन नही लगी है। आपके भाईयो ने अपने नाम दर्ज कराली हैं इस पर प्रार्थीया ने जरीना से बात की और नकल नामान्तकरण लेने हेतु दिनांक 09.04.2018 को दर0 पेश की जो दिनांक 13.04.2018 को तैयार होकर दिनांक 17.04.2018 को प्राप्त हुयी नकल प्राप्त होते ही अपील नामान्तकरण की सर्व प्रथम जानकारी से अन्दर मयाद पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 08.12.1997 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अपीलांट की अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 की जरिये नोटिस तलबी की गयी। सुनवाई के दौरान रेस्पो0 उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में अपीलांट के वकील की एक पक्षीय बहस सूनी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया हे कि ग्राम सूरवाल का नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 08.12.1997 विरासत का नामान्तकरण है। उक्त नामान्तकरण में दर्ज खातेदारी भूमि इशहाक अहमद की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इशहाक अहमद की विरासत दर्ज करते हुऐ केवल पुत्रो एवं पत्नी का नाम ही उक्त नामान्तकरण में दर्ज किया है और पुत्रिया का नाम दर्ज नही किया जो गलत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 18 तस्दीक किया गया है वह गलत है उसको निरस्त किये जाने की कृपा करे।

प्रकरण में वकील अपीलांट की बहस सूनी। प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अपीलाट उक्त अपील प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 08.12.1997 को खारिज करवा कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 18 का अवलोकन करने पर उक्त नामान्तकरण ईशाक पुत्र भोलाबक्स मुसलमान सा0देह की विरासत मोहम्मद इलियास, मोहम्मद जफर, आबिद अली, मंजूर अली पि0 ईशाक, मु0 सरीफन बेवा ईशाक जाति मुसलमान सा0देह के नाम तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकण में ईशाक की पुत्रिया का नाम अंकित नही किया गया है जो गलत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 18 गलत तस्दीक किया गया है जो खारिज योग्य है।

:–क्रियात्मक आदेश–:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सूरवाल द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 08.12.1997 वारिसानो की सही जॉच नही करने के कारण खारिज किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है कि पुनः राजस्व ग्राम सूरवाल में दर्ज खातेदारी भूमि जो ईशाक पुत्र भोलावक्स जाति मुसलमान ही है उसकी मृत्यु के पश्चात जो भी विधिक उत्तराधिकारी हो उनकी [illegible] तस्दीक किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। आदेश [illegible] हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवायी जावें। निर्णय आज दिनांक [illegible] टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:34 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर